.11.2024 प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कैलाश स्वामी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी होकर तामिल करावे। पत्रावली आगामी तारीख पेशी 18.11.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

18/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 25/11/24 को पेश हो। तामील रसीद पेश

25/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 11/12/24 को पेश हो।

11/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 20/12/24 को पेश हो।

20/12/24 पत्रावली पेश। अधि. प्रार्थी हाजिर, अप्रार्थी नं. 1 ता 3 की तामील विधिवत हो चुकी है, बावजूद तामील हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी नं. 1 ता 3 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस अधि. प्रार्थी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस मुताबिक आवेदन रही। विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है। विवादित भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 विवादित भूमि का बिना बंटवारा केई बेचान करना चाहता है। बिना विधिवत बंटवारे के विवादित भूमि का बेचान करने पर प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते हैं। अतः अप्रार्थी नं. 1 को विवादित भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे

और कारण पाकर किये जाना उचित है अतः
प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा
अप्रार्थी क्र. 1 ता 4 लगायत अस्थाई निषेधाज्ञा से
पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित भूमि
ख.न. 1264/541, 1265/541, 1266/541,
कुल किता 03 कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर वाके ग्राम
नाला का बावड़ी पटवार हल्का कुड़की तहसील व
व जिला सीकर की, भूमि पर रिकॉर्ड की
यथास्थिति तारीख तहरीर बरकरार रखें। इस
स्थगन आदेश [illegible], चालू रास्ते
पर लागू नहीं होगा। पत्रावली फैसला
अमल होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर
हो। निर्णय आज मेरे इजलास में सुनाया गया।